उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

ज्ञापन

क्रमांक A / 1498 /
III-18-188/76

जबलपुर, दिनांक 29 मई, 2021

प्रति,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
....(म0प्र0).
(राज्य के समस्त)

विषयः– कोविड–19 से संक्रमित कर्मचारियों के चिकित्सा अग्रिम बिलों के संबंध में।

–––0–––

निर्देशानुसार, उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि आपकी स्थापना पर कोविड–19 से संक्रमित कर्मचारी अथवा उनके परिवार के आश्रित सदस्यों द्वारा इलाज बावत् प्रस्तुत चिकित्सा अग्रिम बिलों के संबंध में आप संबंधित लिपिक / सहा0लेखापाल / लेखापाल को निर्देशित करें कि वे ऐसे प्रकरणों पर नियमानुसार तत्परता से कार्यवाही करें, ताकि संबंधित कर्मचारी / परिवार के आश्रित सदस्य को यथोचित इलाज संभव हो सके।

29/05/2021
O/C (आर0पी0एस0 चुण्डावत)
रजिस्ट्रार(डी0ई0)

पृष्ठांकन क्रं0 A / 1499 /
III-18-188/76

जबलपुर, दिनांक 29 मई, 2021

प्रतिलिपि :–

1. प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ...(राज्य के समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बावत् एवं
2. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को इस निवेदन के साथ अग्रेषित कि वे उनकी स्थापना पर कार्यरत् श्री राकेश वर्मा, कार्यकारी प्रांताध्यक्ष, म0प्र0 न्यायिक कर्मचारी संघ को उनके पत्र दि0 29 / 04 / 2021 के संदर्भ में सूचित करें।

29-5-2021
O/C (आर0पी0एस0 चुण्डावत)
रजिस्ट्रार(डी0ई0)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश
पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

कमांक–सी–6/एम.आर./2020/ 645 भोपाल, दिनांक 11/09/2020

प्रति,

1. शासन के समस्त विभाग, मध्यप्रदेश
2. समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश
3. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश
4. समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश

विषयः– **शासकीय कर्मचारियों एवं उनके आश्रित सदस्यों के जांच/उपचार हेतु आपदा कोविड–19 महामारी संक्रमण के सम्बन्ध में।**

––000––

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि म.प्र. शासन के शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्य जो आपदा कोविड–19 से संक्रमित होते है। मरीज इलाज हेतु मध्यप्रदेश के समस्त जिलों के अशासकीय निजी चिकित्सालय (नर्सिंग होम एक्ट के तहत पंजीकृत निजी चिकित्सालय) में आंतरिक रोगी (IPD) के रूप में जॉच/उपचार एवं दवाईयॉ जैसे कि Tab. Favipiravir, injection Remdesivir, injection Tocilizumab आदि कि चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति होगी। शासकीय सेवक कोविड–19 इलाज के चिकित्सा देयक अपने विभाग के माध्यम से जिले के सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक मध्यप्रदेश के प्रतिहस्ताक्षर कराने के उपरांत शासकीय सेवक के सम्बन्धित विभाग द्वारा ऐसे चिकित्सा देयकों में नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह व्यवस्था आपदा कोविड–19 के मरीजों के उपचार के चिकित्सा देयकों पर लागु होगी। जिसका बिन्दुवार पत्रक संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
द्वारा अनुमोदित

(डॉ. संजय गोयल)
आयुक्त, स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

निरतंर –2

पृ. कंमाक– सी–6 / एम.आर. / 2020 / 646 भोपाल, दिनांक 11 / 09 / 2020

प्रतिलिपि:– सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल।
2. निज सचिव, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त म.प्र.।
4. निज सचिव, उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल।
5. निज सहायक, संचालक लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण म.प्र.।
6. निज सहायक, संचालक चिकित्सा शिक्षा म.प्र.।
7. समस्त अपर संचालक / संयुक्त संचालक स्थानीय कार्यालय।
8. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश।
9. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मध्यप्रदेश।
10. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक मध्यप्रदेश।
11. प्रभारी एमआईएस, स्थानीय कार्यालय उपरोक्तानुसार विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।

आयुक्त, स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

शासकीय कर्मचारियों एवं उनके आश्रित सदस्यों के जांच / उपचार हेतु आयुष्मान कोविड 19 महामारी संक्रमण हेतु जानकारी निम्नानुसार है

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या शासकीय कर्मचारी शासकीय अस्पताल में निःशुल्क उपचार करा सकता है?	हाँ म.प्र. सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम [illegible] के नियम 4 [illegible] में प्रावधान है कि शासकीय कर्मचारी शासकीय चिकित्सालय में निःशुल्क उपचार करा सकता होगा यथा प्रदेश के सभी शासकीय चिकित्सालय प्रदेश के सभी शासकीय मेडिकल कालेज प्रदेश में भारत शासन द्वारा संचालित एम्स भोपाल, बी.एम.एच.आर.सी. भोपाल (परिपत्र क्रमांक एफ 9-9/2013/17/मेडि-3 भोपाल दिनांक 26/08/2013 विभाग की वेबसाईट http://www.health.mp.gov.in पर अपलोड है, कृपया अवलोकन करें)
2	राज्य के अंदर मान्यता प्राप्त चिकित्सालय की सूची क्या विभाग की वेबसाईट पर अपलोड है?	**हाँ (वर्तमान में 101 निजी संस्थाओं को** मान्यता प्राप्त है। सूची विभाग की वेबसाईट http://www.health.mp.gov.in पर अपलोड है)
3	राज्य के अंदर शासकीय चिकित्सालय में शासकीय सेवक एवं उनके सदस्यों के उपचार हेतु रेफरल की आवश्यकता होगी?	**नहीं** (राज्य में संचालित शासकीय चिकित्सालय में उपचार कराने हेतु रेफरल की आवश्यकता नहीं होगी) यथा प्रदेश के सभी शासकीय चिकित्सालय प्रदेश के सभी शासकीय मेडिकल कालेज प्रदेश में भारत शासन द्वारा संचालित एम्स भोपाल, बी.एम.एच.आर.सी. भोपाल (परिपत्र क्रमांक एफ 9-9/2013/17/मेडि-3 भोपाल दिनांक 26/08/2013 विभाग की वेबसाईट http://www.health.mp.gov.in पर अपलोड है, कृपया अवलोकन करें)
4	राज्य के अंदर शासकीय चिकित्सालय में शासकीय सेवक एवं उनके सदस्यों के उपचार हेतु अनुमति की आवश्यकता होगी?	**नहीं** (राज्य में संचालित शासकीय चिकित्सालय में उपचार कराने हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी) यथा 1. प्रदेश के सभी शासकीय चिकित्सालय 2. प्रदेश के सभी शासकीय मेडिकल कालेज 3. प्रदेश में भारत शासन द्वारा संचालित एम्स भोपाल, बी.एम.एच.आर.सी. भोपाल (परिपत्र क्रमांक एफ 9-9/2013/17/मेडि-3 भोपाल दिनांक 26/08/2013 विभाग की वेबसाईट http://www.health.mp.gov.in पर अपलोड है, कृपया अवलोकन करें)

5	निजी चिकित्सालयों में रेफरल की प्रक्रिया क्या है ?	निजी चिकित्सालयों में रेफरल की प्रक्रिया राज्य के अंदर शासन से मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में उपचार कराने के लिये रेफरल हेतु जिला स्तर पर सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा रेफरल किया जायेगा। मेडिकल बोर्ड द्वारा केवल उन्हीं जांच / उपचार की सुविधाओं हेतु रेफरल किया जायेगा जो जिला चिकित्सालय / शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में उपलब्ध नहीं होगी
6	फालोअप उपचार अनुमति किसके द्वारा प्रदान की जाती एवं कितने समय के लिये प्रदान की जाती है ?	राज्य के अंदर शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को फालोअप उपचार अनुमति सिविल सर्जन सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक द्वारा 6 माह के लिये प्रदान की जाती है।
7	राज्य के अंदर शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यो हेतु शासकीय चिकित्सालयो मे चिकित्सा अग्रिम की वर्तमान व्यवस्था क्या है ?	राज्य के अंदर शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यो हेतु शासकीय चिकित्सालयो मे उपचार हेतु चिकित्सा अग्रिम जिला स्तर पर सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड को अधिकार दिये गये है। (परिपत्र क्रमांक एफ 9-9 / 2013 / 17 / मेडि-3 भोपाल दिनांक 26 / 08 / 2013) विभाग की वेबसाईट http://www.health.mp.gov.in/ पर अपलोड है। कृपया अवलोकन करें।
8	राज्य के अंदर शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यो हेतु शासन द्वारा मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयो मे उपचार हेतु चिकित्सा अग्रिम / अनुमति / फालोअप अनुमति वर्तमान व्यवस्था क्या है ?	राज्य के अंदर शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यो हेतु मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयो मे उपचार हेतु जिला स्तर पर सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड को अधिकार दिये गये है। मेडिकल बोर्ड द्वारा केवल उन्ही जाच / उपचार की सुविधाये हेतु निजी चिकित्सालय मे रेफरल किया जायेगा जो शासकीय जिला चिकित्सालय / शासकीय चिकित्सा महाविधालय मे जाच / उपचार की सुविधा उपलब्ध नही होगी (परिपत्र क्रमांक एफ 9-9 / 2013 / 17 / मेडि-3 भोपाल दिनांक 26 / 08 / 2013) विभाग की वेबसाईट http://www.health.mp.gov.in/ पर अपलोड है। कृपया अवलोकन करे
9	निजी चिकित्सालयो (द्वारा शासकीय सेवको एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यो) की मान्यता की प्रक्रिया ?	निजी चिकित्सालयो को शासकीय मान्यता हेतु आवेदन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रेषित करना होता है। आवेदन फार्म http://www.health.mp.gov.in/ पर अपलोड है। उन्ही निजी चिकित्सालयो को मान्यता दी जायेगी जिन्हे National Accreditation Board for Hospitals & Healthcare Providers (NABH) द्वारा अधि

(डॉ. संतोष जैन)
अपर संचालक

		[illegible] उपचार हेतु निजी चिकित्सालयों को [illegible] प्रदान करना होगा।
[illegible]	राज्य के बाहर शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के आकस्मिक उपचार हेतु क्या व्यवस्था है	राज्य के बाहर शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को आकस्मिक स्थिति में उपचार के लिए मान्यता प्राप्त संस्थाओं एवं गैर मान्यता प्राप्त संस्थाओं में उपचार करा सकते हैं। इस हेतु उपचार उपरान्त कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। इस हेतु म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग परिपत्र क्रमांक एफ 9-2/2006/17/मेडि-3 भोपाल दिनांक 20/02/2006 द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों एवं उनके आश्रित सदस्यों को राज्य के बाहर स्थित प्राईवेट निजी चिकित्सा संस्थाओं में चिकित्सा प्रतिपूर्ति की स्वीकृति हेतु संचालनालय स्तर पर एक समिति का गठन किया गया है जो निजी संस्थाओं में उपचार उपरान्त कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करती है। (परिपत्र क्रमांक एफ 9-2/2006/17/मेडि-3 भोपाल दिनांक 20/02/2006) विभाग की वेबसाईट http://www.health.mp.gov.in पर उपलब्ध है।
[illegible]	म.प्र. चिकित्सा परिचर्या नियम 1958 अनुसार मरीज के भर्ती की स्थिति में	1. ऑक्सीजन देने में हुआ सम्पूर्ण व्यय। 2. वार्ड या कमरे का किराया भी व्यय शामिल होगा। चतुर्थ श्रेणी के शासकीय कर्मचारियों तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के मामले में सम्पूर्ण और अन्य मामलों में केवल पचास प्रतिशत। 3. रूधिराधान के लिए रक्त खरीद पर हुआ व्यय 4. समस्त क्रिया तथा रोग संबंधी (पैथोलॉजिकल) जीवाणु सम्बन्धी रेडियोलॉजिकल एवं अन्य परीक्षण जो कि प्राधिकृत चिकित्सकीय परिचारक द्वारा आवश्यक समझे जाए और प्रमाणित किये जाएं किया गया पूर्ण व्यय
[illegible]	वर्तमान कोविड-19 संक्रमण की महामारी को ध्यान में रखते हुये कोविड संक्रमण से संक्रमित समस्त शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों का उपचार शासन द्वारा मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में कराया जा सकता है	आकस्मिकता की स्थिति में कोविड-19 उपचार के चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयकों पर कार्योत्तर स्वीकृति संभागीय कार्योत्तर स्वीकृति समिति द्वारा प्रदान की जायेगी

(डॉ. संतोष जैन)
उप संचालक

11	क्या शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्य कोविड-19 संक्रमण इलाज हेतु अशासकीय निजी [illegible] चिकित्सालय में [illegible] सकता है	हाँ [illegible] है।
12	क्या शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्य कोविड-19 संक्रमण इलाज हेतु अशासकीय निजी [illegible] निजी चिकित्सालय में जहाँ पर कोविड-19 उपचार की दरें निर्धारित नहीं हैं क्या वहां उपचार कराया जा सकता है	हाँ आवश्यकता के आधार पर
13	क्या म.प्र. शासन द्वारा [illegible] कोविड-19 हेतु दरें निर्धारित हैं	हाँ आयुष्मान भारत निरामयम योजना के अंतर्गत दरें निर्धारित हैं। निर्धारित दरों पर ही निजी चिकित्सालय उपचार सेवाएं दे रहे हैं
14	क्या म.प्र. शासन के शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्य [illegible] कोविड-19 संक्रमण इलाज हेतु मध्यप्रदेश के समस्त जिलों के अशासकीय निजी चिकित्सालय [illegible] निजी चिकित्सालयों में भर्ती (IPD) के बाद में औषधि, उपकरण एवं दवाईयाँ जैसे कि Tab Favipiravir injection Remdesivir injection Tocilizumab आदि के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति होगी	हाँ म.प्र. शासन के शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्य जो कोविड-19 से संक्रमित होते हैं, [illegible] इलाज हेतु मध्यप्रदेश के समस्त जिलों के अशासकीय निजी चिकित्सालय [illegible] निजी चिकित्सालय में भर्ती (IPD) के बाद [illegible] औषधि, उपकरण एवं दवाईयाँ जैसे कि Tab Favipiravir injection Remdesivir injection Tocilizumab आदि कि चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति होगी। शासकीय सेवक कोविड-19 इलाज के चिकित्सा देयक [illegible] आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं मध्यप्रदेश के आदेश क्रमांक IDSP/2020/584 Bhopal 04/09/2020 [illegible] है।

अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा अनुमोदित

(डॉ. [illegible] जैन)
[illegible]
[illegible] स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

भोपाल दिनांक 26/04/2013

आदेश

क्रमांक एफ 9/5/17/मेडि-2, राज्य के शासकीय अस्पतालों एवं राज्य के अन्दर शासन द्वारा मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में शासकीय सेवक एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों को उपचार हेतु रेफर करने एवं उपचार की अनुमति देने के संबंध में संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देश/पत्र क्रमांक 4/एम आर/2002/1826 दिनांक [illegible].06.2002 व पत्र क्रमांक 4/एम आर/2009/1541 दिनांक 29.06.2009 को अधिक्रमित करते हुए व्यवस्था के सरलीकरण/विकेन्द्रीकरण के उद्देश्य से निम्न दिशानिर्देश प्रसारित किए जाते हैं :-

(क) शासकीय चिकित्सालय में उपचार कराने हेतु :-

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1958 के नियम 4(1) में प्रावधान है कि शासकीय कर्मचारी चिकित्सालय में निःशुल्क उपचार का हकदार होगा। वर्तमान में राज्य में राज्य शासन द्वारा संचालित चिकित्सालयों/चिकित्सा महाविद्यालयों के अतिरिक्त केन्द्र सरकार द्वारा भी चिकित्सालय एम्स, भोपाल व बी.एम.एच.आर.सी. भोपाल संचालित है।

शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को राज्य एवं केन्द्र शासन द्वारा राज्य में संचालित चिकित्सालयों में उपचार कराने हेतु रेफरल अथवा उपचार अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

राज्य के अन्दर शासन से मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालय में उपचार कराने हेतु रेफरल व्यवस्था एवं उपचार अनुमति :-

राज्य के अन्दर शासन से मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालय में उपचार कराने के लिए रेफरल एवं उपचार अनुमति जिला स्तर पर सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा दी जाएगी। इस बोर्ड में सिविल सर्जन एवं मेडिसिन तथा सर्जरी विषय के विशेषज्ञ/स्नातकोत्तर चिकित्सक सम्मिलित होंगे। यह बोर्ड आवश्यकतानुसार प्रकरण विषयक बीमारी से संबंधित विषय विशेषज्ञ/स्नातकोत्तर चिकित्सक को परामर्श हेतु आमंत्रित कर सकेगा। केवल उन्हीं जांच/उपचार की सुविधाओं जो जिला चिकित्सालयों/शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालयों में उपलब्ध नहीं है, के लिए बोर्ड द्वारा रेफरल किया जा सकेगा। रेफरल उपरांत उपचार अनुमति सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक द्वारा जारी की जावेगी।

संचालक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों तथा सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षकों को शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालयों में उपलब्ध जांच/उपचार की सुविधाओं की सूची उपलब्ध कराई जावेगी। उनके द्वारा यह सूची वेबसाईट पर भी अपलोड कराई जावेगी।

निरन्तर

[illegible] के [illegible] के [illegible] [illegible] के [illegible] रहेगी।

[illegible]

Received from Chamber of Hon'ble the Chief Justice

म0प्र0 न्यायिक कर्मचारी संघ

(उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर से मान्यता प्राप्त)

राजय सूरौतिया
प्रान्ताध्यक्ष

राकेश वर्मा
कार्यकारी प्रान्ताध्यक्ष

नीरज श्रीवास्तव
प्रांतीय महासचिव

वरिष्ठ संरक्षक श्री प्रवीण कुमार सिंह

संरक्षक : श्री दिनेश कुमार नायक

उच्च न्यायालय म.प्र. 11 MAY 2021 जबलपुर

दि0 29.4.21

प्रति,

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय,
उच्च न्यायालय, जबलपुर, म0प्र0

द्वारा :– माननीय रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय जबलपुर, म0प्र0

विषय :– न्यायिक कर्मचारियों एवं उनके आश्रित सदस्यों की जांच/उपचार हेतु आपदा कोविड–19 महामारी संक्रमण के संबंध मे।

संदर्भ :– म0प्र0 शासन संचालनायल, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल का पत्र दिनांक 645 दिनांक 11.09.2020

महोदय जी,

विनम्र अनुरोध है कि वर्तमान समय में शासकीय कर्मचारियों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्य जो आपदा कोविड–19 से संक्रमित होते हैं, उन्हें इलाज हेतु शासकीय अस्पतालों में समुचित व्यवस्था न होने के कारण निजी अस्पतालों में उपचार कराने हेतु मजबूर होना पडता है, जिसके कारण उन्हें अधिक राशि का वहन करना पडता है। मध्यम वर्ग कर्मचारी के पास राशि की व्यवस्था न होने से कोविड–19 की महामारी के इलाज हेतु पीड़ित कर्मचारी को समय पर इलाज प्राप्त नहीं हो पाता है।

यह कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा कोविड–19 के संक्रमित मरीजों एवं उनके आश्रित परिवार को जांच एवं उपचार की प्रतिपूर्ति किए जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं, जिसके संबंध में उपरोक्त निर्देशों के अनुसार शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों हेतु शासकीय चिकित्सालय में उपचार किये जाने हेतु चिकित्सा अग्रिम प्रदाय किये जाने का प्रावधान है। जिसके परिप्रेक्ष्य में संबंधित अस्पताल द्वारा अग्रिम राशि का स्टीमेट लेकर सी.एम.ओ. के प्रति हस्ताक्षर करवा कर चिकित्सा अग्रिम राशि तत्काल स्वीकृत की जा सकती है। उपरोक्त कार्यवाही से कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को चिकित्सा अग्रिम प्राप्त होने पर समुचित इलाज कराया जाना संभव हो सकेगा।

महोदय जी यदि समस्त जिला न्यायाधीश महोदय द्वारा उपरोक्त आदेश के परिपालन में चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत की जाती है तो संबंधित कर्मचारी का यथोचित इलाज संभव है।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि कोविड–19 की महामारी को देखते हुए प्रत्येक जिले में इससे पीड़ित कर्मचारी एवं उनके आश्रित सदस्यों के इलाज हेतु विशेष परिस्थितियों में एवं तात्कालिक रूप से चिकित्सा अग्रिम उपलब्ध कराये जाने हेतु सभी न्यायाधीशों को निर्देशित करने की कृपा करें तथा कोविड–19 की महामारी के दौरान चिकित्सा अग्रिम उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रत्येक जिले में लेखा अनुभाग से संबंधित एक कर्मचारी की ड्यूटी लगाये जाने हेतु संबंधित जिला न्यायाधीश को भी निर्देशित करने की कृपा करें जिससे न्यायिक कर्मचारियों का यथोचित इलाज संभव हो सकें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

Urgent

AR.(DE)

11 MAY 2021

(राकेश वर्मा)
कार्यकारी प्रांताध्यक्ष
म0प्र0 न्यायिक कर्मचारी संघ
जबलपुर म0प्र0